



parmeshwarkaniyam.org

परिशिष्ट 8g: नज़ीर और मन्नत की व्यवस्थाएँ — आज इन्हें मान पाना क्यों असम्भव है

यह पृष्ठ उस श्रृंखला का हिस्सा है जो परमेश्वर की उन व्यवस्थाओं की पड़ताल करती है जिन्हें केवल तभी माना जा सकता था जब यरूशलेम में मंदिर खड़ा था।

- [परिशिष्ट 8a: वे परमेश्वर की व्यवस्थाएँ जिन्हें मंदिर की आवश्यकता थी](#)
- [परिशिष्ट 8b: बलिदान — आज इन्हें मानना क्यों असम्भव है](#)
- [परिशिष्ट 8c: बाइबिल के पर्व — आज इनमें से कोई भी क्यों नहीं रखा जा सकता](#)
- [परिशिष्ट 8d: शुद्धिकरण की व्यवस्थाएँ — मंदिर के बिना इन्हें मानना क्यों असम्भव है](#)
- [परिशिष्ट 8e: दशमांश और पहिलौठे फल — आज इन्हें मानना क्यों असम्भव है](#)
- [परिशिष्ट 8f: परमप्रसाद सेवा — यीशु का अंतिम भोजन पास्का था](#)
- [परिशिष्ट 8g: नज़ीर और मन्नत की व्यवस्थाएँ — आज इन्हें मानना क्यों असम्भव है \(यह पृष्ठ\)।](#)
- [परिशिष्ट 8h: मंदिर से संबंधित आंशिक और प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता](#)
- [परिशिष्ट 8i: क्रूस और मंदिर](#)

मनौतियों की व्यवस्थाएँ, जिनमें नज़ीर की मनौती भी शामिल है, दिखाती हैं कि तोराह की कितनी आज्ञाएँ उस मंदिर-प्रणाली पर निर्भर हैं जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था। चूँकि मंदिर, वेदी और लेवीय याजक-वर्ग हटा दिए गए हैं, इसलिए आज इन मनौतियों को पूरा करना असम्भव है। आज जो लोग इन मनौतियों—विशेषकर नज़ीर की मनौती—की नकल करने या उन्हें “आध्यात्मिक” बनाने की कोशिश करते हैं, वे आज्ञाकारिता नहीं बल्कि मनुष्यों की गढ़ी हुई बातों का पालन कर रहे हैं। व्यवस्था यह परिभाषित करती है कि ये मनौतियाँ क्या हैं, कैसे शुरू होती हैं, कैसे समाप्त होती हैं और परमेश्वर के सामने उन्हें कैसे पूरा किया जाना है। बिना मंदिर के, तोराह की कोई भी मनौती वैसी नहीं निभाई जा सकती जैसी परमेश्वर ने आज्ञा दी।

व्यवस्था ने मनौतियों के बारे में क्या आज्ञा दी

व्यवस्था मनौतियों को अत्यन्त गम्भीरता से लेती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से कोई मनौती करता था, तो वह मनौती उसके लिये एक बाँधने वाली प्रतिज्ञा बन जाती थी जिसे ठीक उसी तरह पूरा करना पड़ता था जैसा उसने मुँह से कहा था (गिनती 30:1-2; व्यवस्थाविवरण 23:21-23)। परमेश्वर ने चेतावनी दी कि मनौती को टालना या पूरा न करना पाप है। परन्तु मनौती को पूरा करना केवल भीतर की भावना या प्रतीकात्मक बात नहीं थी—उसके लिये कार्य, बलिदान और परमेश्वर के पवित्रस्थान की भागीदारी आवश्यक थी।

बहुत-सी मनौतियों में धन्यवाद के बलिदान या स्वेच्छा की भेंट शामिल होती थीं; इसका अर्थ यह है कि मनौती को परमेश्वर की वेदी पर, उस स्थान पर पूरा करना होता था जिसे उसने चुना था (व्यवस्थाविवरण 12:5-7; 12:11)। बिना वेदी के कोई भी मनौती पूर्णता तक नहीं पहुँच सकती थी।

नज़ीर की मनौती: मंदिर पर निर्भर एक व्यवस्था

नज़ीर की मनौती इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि आज यह आज्ञा पूरी क्यों नहीं की जा सकती, भले ही उससे जुड़े कुछ बाहरी आचरणों की नकल अभी भी संभव हो। गिनती 6 अध्याय नज़ीर की मनौती का विस्तार से वर्णन करता है और यह स्पष्ट भेद दिखाता है कि अलगाव के बाहरी चिन्ह क्या हैं और वे आवश्यक बातें क्या हैं जो मनौती को परमेश्वर के सामने सही और मान्य बनाती हैं।

बाहरी चिन्हों में शामिल है:

- दाखमधु और अंगूर से बनी हर चीज़ से दूर रहना (गिनती 6:3-4)
- सिर पर उस्तरा न लगाना और बालों को बढ़ने देना (गिनती 6:5)
- मृत देह की अशुद्धता से बचना (गिनती 6:6-7)

लेकिन इनमें से कोई भी आचरण अपने आप न तो नज़ीर की मनौती को जन्म देता है और न उसे पूरा करता है। व्यवस्था के अनुसार, मनौती तब ही पूरी होती है—और तब ही परमेश्वर के सामने स्वीकार्य होती है—जब व्यक्ति पवित्रस्थान में जाकर वे सब बलिदान चढ़ाता है जिन्हें परमेश्वर ने आवश्यक ठहराया है:

- होमबलि
- पापबलि
- मैत्री/सामाजिक बलिदान (शान्ति-बलि)
- अन्न-भेंट और पेय-भेंट

ये सब बलिदान मनौती के अन्तिम और अनिवार्य भाग के रूप में आज्ञा दिए गए थे (गिनती 6:13-20)। इनके बिना मनौती अधूरी और अमान्य रहती है। यदि अनजाने में कोई अशुद्धता हो जाती, तो परमेश्वर ने अतिरिक्त बलिदानों की भी आज्ञा दी थी; इसका अर्थ है कि मंदिर-प्रणाली के बिना मनौती न तो जारी रह सकती है और न फिर से शुरू हो सकती है (गिनती 6:9-12)।

इसी कारण नज़ीर की मनौती आज अस्तित्व में नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति बाहरी आचरण की नकल कर सकता है, पर वह उस मनौती में प्रवेश नहीं कर सकता, उसे जारी नहीं रख सकता और न ही वैसे पूरी कर सकता है जैसी परमेश्वर ने परिभाषित की है। वेदी, याजक-वर्ग और पवित्रस्थान के बिना नज़ीर की मनौती नहीं, केवल मनुष्यों की नकल-भर रह जाती है।

इस्राएल ने कैसे आज्ञा मानी

जो इस्राएली नज़ीर की मनौती लेते थे, वे प्रारम्भ से अन्त तक व्यवस्था के अनुसार चलते थे। वे अपनी मनौती के दिनों में स्वयं को अलग रखते, अशुद्धता से बचते और फिर वेदी पर वे बलिदान चढ़ाने के लिये पवित्रस्थान में जाते जिन्हें परमेश्वर ने आवश्यक ठहराया था। यदि बीच में अनजाने में अशुद्धता हो जाती, तो मनौती को “रीसेट” करने के लिये विशेष बलिदान देने पड़ते (गिनती 6:9-12)।

किसी भी इस्राएली ने कभी गाँव की आराधनालय में, निजी घर में या किसी प्रतीकात्मक विधि के द्वारा नज़ीर की मनौती पूरी नहीं की। यह केवल उसी पवित्रस्थान में पूरी की जा सकती थी जिसे परमेश्वर ने चुना था।

अन्य मनौतियों के लिये भी यही सत्य था। उन्हें पूरा करने के लिये बलिदान आवश्यक थे, और बलिदान के लिये मंदिर आवश्यक था।

ये मनौतियाँ आज क्यों नहीं मानी जा सकतीं

नज़ीर की मनौती—और तोराह की वे सभी मनौतियाँ जिनमें बलिदान आवश्यक हैं—आज इस कारण पूरी नहीं की जा सकती कि परमेश्वर की वेदी अब नहीं है। मंदिर नष्ट हो चुका है, याजक-वर्ग सेवा में नहीं है, पवित्रस्थान अनुपस्थित है। और इनके बिना मनौती के अन्त का वह अनिवार्य कार्य ही नहीं सकता।

तोराह अनुमति नहीं देती कि नज़ीर की मनौती केवल “आध्यात्मिक रूप से” बिना बलिदानों के समाप्त कर दी जाए। वह आज के शिक्षकों को यह अधिकार नहीं देती कि वे मनमाने प्रतीकात्मक अन्त, वैकल्पिक समारोह या निजी व्याख्याएँ बना लें। परमेश्वर ने स्वयं परिभाषित किया कि मनौती का अन्त कैसे होना चाहिए, और उसी ने आज्ञाकारिता के साधनों को हटा भी दिया।

इसी कारण:

- आज कोई भी व्यक्ति तोराह के अनुसार नज़ीर की मनौती नहीं ले सकता।
- कोई भी ऐसी मनौती जो बलिदानों पर निर्भर हो, आज पूरी नहीं की जा सकती।
- इन मनौतियों की कोई भी प्रतीकात्मक नकल आज्ञाकारिता नहीं है।

ये व्यवस्थाएँ सदा के लिये हैं, पर उनकी आज्ञाकारिता तब तक असम्भव है जब तक परमेश्वर स्वयं मंदिर को पुनःस्थापित न करे।

यीशु ने इन व्यवस्थाओं को रद्द नहीं किया

यीशु ने कभी मनौतियों की व्यवस्थाओं को रद्द नहीं किया। उन्होंने लोगों को इस बात से जरूर चेताया कि लापरवाही से मनौती न करें, क्योंकि मनौती बाँधने वाली होती है (मती 5:33-37); पर उन्होंने गिनती या व्यवस्थाविवरण में लिखी एक भी आवश्यकता को नहीं हटाया। उन्होंने अपने शिष्यों से कभी नहीं कहा कि नज़ीर की मनौती अब पुरानी हो गई है या मनौतियों को अब पवित्रस्थान की आवश्यकता नहीं।

पौलुस का सिर मुँडवाना (प्रेरितों के काम 18:18) और यरूशलेम में पवित्रता से सम्बन्धित खर्चों में भाग लेना (प्रेरितों के काम 21:23-24) यह साबित करता है कि यीशु ने मनौतियों की व्यवस्थाओं को रद्द नहीं किया, और यह कि मंदिर के नष्ट होने से पहले इस्राएली अब भी अपनी मनौतियों को ठीक उसी प्रकार पूरा करते थे जैसा तोराह ने आज्ञा दी थी। पौलुस ने कुछ भी निजी रूप से या केवल किसी आराधनालय में पूरा नहीं किया; वह यरूशलेम, मंदिर और वेदी तक गया, क्योंकि व्यवस्था ने निर्धारित किया था कि मनौती का निष्कर्ष कहाँ लाया जाना है। तोराह यह परिभाषित करती है कि नज़ीर की मनौती क्या है, और तोराह के अनुसार कोई मनौती बिना परमेश्वर के पवित्रस्थान में बलिदान के पूरी नहीं होती।

प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता वास्तव में आज्ञा-उल्लंघन है

जैसे बलिदानों, पर्वों, दशमांश और शुद्धता की व्यवस्थाओं के साथ है, उसी प्रकार मंदिर के हटाए जाने के कारण हमें इन मनौतियों का आदर करना पड़ता है—ऐसे नहीं कि हम उनके बदले कुछ नया बना लें, बल्कि ऐसे कि जहाँ आज्ञाकारिता असम्भव है वहाँ आज्ञाकारिता का दावा करने से इनकार करें।

आज यदि कोई व्यक्ति केवल बाल बढ़ाकर, दाखमधु से दूर रहकर या अन्त्येष्टि से बचकर नज़ीर की मनौती की नकल करता है, तो यह आज्ञाकारिता नहीं है। यह उन आज्ञाओं से कटा हुआ एक प्रतीकात्मक कार्य है जिन्हें परमेश्वर ने वास्तव में दिया था। पवित्रस्थान में बलिदान के बिना यह मनौती आरम्भ से ही अमान्य है।

परमेश्वर प्रतीकात्मक आज्ञाकारिता स्वीकार नहीं करता। जो उपासक परमेश्वर का भय मानता है, वह मंदिर और वेदी के लिये अपने विकल्प नहीं गढ़ता। वह उन मर्यादाओं को पहचानकर व्यवस्था का आदर करता है जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं रखा है।

जो मान सकते हैं उसे मानते हैं, और जो नहीं मान सकते उसका आदर करते हैं

नज़ीर की मनौती पवित्र है। सामान्य रूप से मनौतियाँ भी पवित्र हैं। इनमें से कोई भी व्यवस्था रद्द नहीं की गई, और न ही तोराह कहीं यह संकेत देती है कि एक दिन उन्हें केवल प्रतीकात्मक प्रथाओं या “अन्दर की नीयत” से बदल दिया जाएगा।

परन्तु परमेश्वर ने मंदिर को हटा दिया। इसलिए:

- हम नज़ीर की मनौती पूरी नहीं कर सकते।
- हम उन मनौतियों को पूरा नहीं कर सकते जिनके लिए बलिदान आवश्यक हैं।
- हम इन व्यवस्थाओं का आदर इस प्रकार करते हैं कि यह दिखावा नहीं करते कि हम उन्हें प्रतीकात्मक रूप से पूरी कर रहे हैं।

आज आज्ञाकारिता का अर्थ है उन आज्ञाओं को मानना जिन्हें बिना मंदिर के भी माना जा सकता है, और बाकी को तब तक आदर देना जब तक परमेश्वर स्वयं पवित्रस्थान को पुनः स्थापित न करे। नज़ीर की मनौती व्यवस्था में लिखी हुई बनी रहती है, पर उसे तब तक माना नहीं जा सकता जब तक वेदी फिर से न खड़ी की जाए।